सहकारी क्षेत्र सब मिलकर हैंक यानं वाध्यता की पूर्ति करें।

Impact of Gatt Agreement on Garment exports

3495. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what are the prospects of export of garments after the adoption of GATT Agreement by Government of India; and

(b) whether it is a fact that GATT Agreement on textiles is disadvantageous; and the previous export trade was advantageous and profitable for the country?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) The Agreement on Textiles and Clothing (ATC) included in the Final Act of the Uruguay Round, envisages complete integration of the textile sector into the multilateral framework of GATT/WTO at the end of a 10 year transition period. By virtue of the provisions of the ATC all textile exporting countries, including India, would get greater access, in stages, in the markets of the importing countries under the MFA. At the end of the transition period of 10 years, the quota system will be completely dismantled. The prospects of garments are good.

(b) No, Sir

वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा

3496. श्री संघ प्रिय गौतम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वस्त्रों के निर्यात को और अधिक बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और इस योजना के मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्रों के निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन परिषद गठित की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त परिषद के गठन के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई सर्वेक्षण कराया है और इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए हैं ; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) जी नहीं। सरकार ने ऐसी कोई नई योजना तैयार नहीं की है। तथापि, वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिसमें क्रेता विक्रेता बैठकों, मेलों व प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहित करना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल का शुल्क रहित आयात की विशेष व्यवस्था करना, निर्यात ऋण की और अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

(ग) से (च) सरकार ने वस्त्रों तथा क्लोदिंग के निर्यात को बढ़ाने के लिए पहले ही निम्नलिखित 6 टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल गठित की हैं :—

(1) अपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली।

(2) काटन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई।

(3) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन कांउसिल, मद्रास।

(4) सिन्थेटिक एण्ड रेयन टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई।

(5) वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई।

(6) इण्डियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, बम्बई ।

सूती कपड़े के मूल्यों में वृद्धि

3497. श्रीमती सुषमा स्वराज :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सूती कपड़े के प्रसंस्करण पर उत्पाद-शुल्क लगा देने के कारण सूती कपड़े की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उत्पाद-शुल्क लगाने के परिणामस्वरूप देश में सूती कपड़े के मूल्य और बढ़ जाएंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या यह सच है कि देश में सूती कपड़े के मूल्यों में वृद्धि होगी जबकि सिंथेटिक सूत के कपड़ों की कीमतें स्थिर रहेंगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और पिछले तीन वर्ष के दौरान सिंथेटिक धागे से बने कपड़ों तथा सूती धागे से बने कपड़ों के मूल्यों में क्रमशः कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सूती फैब्रिक्स के प्रसंस्करण पर उत्पाद शुल्क लगाने से सूती फैब्रिक्स की उत्पादन लागत प्रभावित नहीं होती है।

(ख) और (ग) 1995-96 में सूती फैब्रिक्स पर उत्पाद शुल्क 1994-95 के बजट के अनुसार ही बनी रही और इसलिए उत्पाद शुल्क के कारण कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हौजरी/निटेड फैब्रिक्स पर हाल ही में लगाया गया उत्पाद शुल्क वापस ले लिया गया है।

(घ) और (ङ) कलाथ सहित वस्त्रों की कीमतें मुख्यतः बाजार प्रतिबल द्वारा शासित होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिल निर्मित सूती तथा सिंथेटिक कपड़े की कीमतें नीचे दी गई हैं :—

(रुपए/मीटर में)

	1992-93 (मार्च)	1993-94 (मार्च)	1994-95 (मार्च)
सूती कपड़ा			
मिल पर	20.67	22.69	27.33
सिन्थेटिक कपड़ा			
मिल पर	51.80	51.10	51.47

सरकार कीमतों पर नजदीकी नजर रखती है और जब कभी आवश्यकता होती है उपयुक्त कदम उठाती है ।